न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 94 वर्ष 2023

आवेदक–दिलीप किस्कू
ग्राम – तेलो मध्य कुम्हार टोला
थाना – चन्द्रपुरा जिला–बोकारो

क्रेता– आशा देवी
ग्राम – तेलो कुम्हार टोला
थाना – चन्द्रपुरा जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03

24.11.23

आदेश

यह वाद आवेदक दिलीप किस्कू पिता स्व0 रूपलाल मॉझी निवासी ग्राम तेलो मध्य कुम्हार टोला थाना चन्द्रपुरा जिला –बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकवा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
तेलो	100	06	1647	83 डी0	6½डी0	आ0 योग्य

को वे अपने भाई की ईलाज हेतु मो0 2,00,000/– (दो लाख) रूपये में क्रेता– आशा देवी पति समुदर मॉझी पिता स्व0 परगुन मॉझी ग्राम –तेलो, कुम्हार टोला थाना –चन्द्रपुरा जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 229/रा0 दिनांक 02.03.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा के पत्रांक 279 दिनांक 16.06.2022 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम तेलो मध्य कुम्हार टोला एवं केता ग्राम तेलो कुम्हार टोला एवं दोनो थाना–चन्द्रपुरा जिला–बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बबुका मॉझी वल्द वडहा मॉझी कौम शौताल के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी बबुका मॉझी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0 1/2 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। बिकेता को यह भूमि घरेलु बॅटवारा द्वारा हासिल है।
03. खतियानी रैयत/जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध दादा का है। बिकी वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिकेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन खतियानी जमीन है एवं सर्वेखतियान में बबुका मॉझी वल्द

वडहा मॉझी के नाम से दर्ज है तथा जमाबंदी बबुका मॉझी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- बबुका मॉझी वल्द वडहा मॉझी के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, बबुका मॉझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता ग्राम तेलो मध्य कुम्हार टोला एवं क्रेता ग्राम तेलो कुम्हार टोला दोनों एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक दिलीप किस्कू पिता स्व0 रूपलाल मॉझी निवासी ग्राम तेलो मध्य कुम्हार टोला थाना चन्द्रपुरा जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकवा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
तेलो	06	1647	83 डी0	6½ डी0	रास्ता	परती कदीम	क्रेता	दामोदर मॉझी

कुल 6½ डी0 ***(छः पूर्णांक एक बटा दो डिसिमल जमीन मात्र।)***

मो0 2,00,000/- (दो लाख) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- आशा देवी पति समुदर मॉझी पिता स्व0 परगुन मॉझी ग्राम -तेलो, कुम्हार टोला थाना -चन्द्रपुरा जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.08.28 12:32:33 +05:30
Location: 192.168.1.2